न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 26/2022 (अपील)

GCMS No. 2022/00064

अनवान

1. श्री शंकर पिता श्री दौला मीणा निवासी नावडा ढाणी सीपुर, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर ।

— अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सेमारी, तहसील सेमारी, जिला—उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री आलोक जैन, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध तहसीलदार सेमारी प्र.स. 17/22 ना.क. निर्णय दिनांक 22.08.2022

* निर्णय *

दिनांक— 31-03-2023

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय धारा 5 अवधी अधिनयम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सीपुर में आराजी नम्बर 431 रकबा 0.8300 हेक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें से 0.1500 हेक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट व उसके पुर्व बाप—दादा पीछले 100 वर्षो से काबिज है व अपीलाण्ट का मकान बना होकर निवास कर रहे है कुछ जगह गाय—भैंस बांधने का बाडा बना रखा है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए यह कहते हुए कि मौके पर वस्तुओ को जब्त करते हुए कब्जे राज करते हुए अपीलाण्ट को बेदखल करे जबकि अपीलाण्ट व उसके बाप—दादा उक्त भूमि पर 100 वर्षो से अधिक समय यानिकी पीढी दा पीढी से काबिज होकर निवासरत है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के परिपत्रों दिनांक 1.4.1991 व 16.10.2001 के अनुसार अपीलाण्ट नियमन का अधिकारी है परन्तु तहसीलदार साहब द्वारा उसे बेदखल करने का आदेश दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील पेश की जा रही है। अपीलाण्ट पिछले 100 वर्षो से काबिज है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिगर मौका पर्चा बनाये व मौके की स्थिति की जानकारी किये बिना ही तथाकथित बेदखली का आदेश व मौके की वस्तु कब्जे राज करने का जो आदेश दिया वो गलत होकर काबिल निरस्त के है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह कहते हुए कि ठोस दस्तावेज नहीं है नियमितिकरण नहीं किया जा सकता जबकि मौके पर अपीलाण्ट का मकान बना हुआ है तथा वह उसमें निवासरत है [illegible] भैंस बांधने का बाडा बना रखा है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिगर किसी जानकारी के जो आ[illegible] दिया जो गलत होकर काबिल निरस्त के है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा अपने जवाब में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त भूमि पर मेरे दादा गोवना जी के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है व पुराने मकान बने हुए है व भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

पर काश्त कर अपना भरण पोषण कर रहा हूं परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य सबूत का मौका दिये केवल जवाब के आधार पर यह कहते हुए कि अपीलाण्ट द्वारा मौके पर कब्जा होना स्वीकार किया है निर्णय, कर दिया, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को साक्ष्य सबुत बन्द कर पक्षकार के बयान करवाकर निर्णय पारित करना चाहिये था अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल जवाब के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित होने से खारिज योग्य है। एक तरफा निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 18.09.2022 को हुई जब तहसील से कुछ कर्मचारी मौके पर आये व उन्होने बताया कि उक्त मकान व भूमि से तुम्हे बेदखल करने के आदेश हुए है तब अपीलाण्ट द्वारा तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 19.09.2022 को नकल के लिये प्रार्थना पत्र लगाया व नकल मिलते ही यह अपील आप न्यायालय में पेश की जा रही है जो तारिख ज्ञान से अन्दर मयाद है फिर भी एहतीयानत तौर पर धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। सरकार के परिपत्रो के अनुसार भी उक्त भूमि अपीलाण्ट को नियमन के काबिल है व नियमन की सम्पूर्ण प्रक्रिया करने को अपीलाण्ट तैयार है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कतिपय लोग जो दूसरे गांव के है जो अपीलाण्ट की भूमि हथियाना चाहते है कि शिकायत पर जल्दबाजी में केवल जवाब के आधार पर निर्णय कर दिया जबकि अपीलाण्ट नियमन की पात्रता रखता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों को नजरअन्दाज कर कतिपय लोगो को फायदा पहुंचाने की गरज से सम्पर्ण कार्यवाही नाजायज कब्जा, अतिक्रमण बताकर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण में साक्ष्य सबूत के आधार पर व अपीलाण्ट का पुराना कब्जा होने से नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार नियमन हेतु आदेश दिया जावे तब तक उसे बेदखल नहीं किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता कल्पित जैन उपस्थित होकर प्रकरण में बहस करना चाहा। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब की गई। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा नजीर RLW 2008(1)RJ 2016/1996 Nathu singh vs state पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर बाप–दादाओं के समय से ही लगभग 100 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार अपीलाण्ट उक्त भूमि के नियमन हेतु प्रक्रिया करने को तैयार है। मौके पर अपिलाण्ट का मकान बना हुआ है। अतः प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी होने से नियमानुसार बेदखल करने का आदेश दिया गया है जो सही है अतः अपील को खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन कि[illegible]ली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक [illegible]र पर बगौर मनन किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की गई है। अपीलाण्ट्स द्वारा दिनांक 19.09.

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

2022 को निर्णय की नकल प्राप्त करने पर जानकारी मे आना बताया है। जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की गई जो जो अन्दर मयाद प्रतीत होती है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

मूल प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट मौजा सीपुर की आराजी नम्बर 431 रकबा 0.8300 हे. में से 0.1500 हे. भूमि पर पिछले 100 वर्षो से अधिक समय से काबिज होना बताया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण होने से सम्पर्क पोर्टल पर ग्राम वासी मल्लाडा द्वारा शिकायत करने पर पटवारी मल्लाडा द्वारा दिनांक 22.7.2022 को तहसीलदार सेमारी के यहां राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रकरण दर्ज कराया गया जिस पर नियमानुसार प्रकरण संख्या 17/2022 दर्ज कर पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त प्रकरण को स्वीकार कर दिनांक 22.08.2022 को अपीलान्ट को भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने से माननीय न्यायालय के निर्णय नजीर RLW 2008(1)RJ 2016/1996 Nathu singh vs state अनुसार अपीलाण्ट भूमि के नियमन हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया करने को तैयार होने का कथन किया है। भूमि की नियमन की प्रक्रिया का प्रावधान अलग है केवल प्रावधान होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसको त्रृटिपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली में दिनांक 4.8.2022 को समस्त ग्रामवासी द्वारा अतिक्रमण हटाने हेत उपजिलाधीश सराडा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, दिनांक 14.7.2022 को सरपंच मय ग्राम वासी मल्लाडा द्वारा नाजायज कब्जा हटाने हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्रों के अवलोकन अनुसार वादर्णित भूमि ग्रामवासियों द्वारा विद्यालय के खेल मैदान हेतु छोडी होना बताया हैं, उक्त प्रार्थना पत्रों के अध्ययन से प्रथम दृष्टया यह प्रतित होता है कि जिस भूमि को लेकन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रण हटाने का आदेश दिया गया है वह सार्वजनिक उपयोग की होना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाने के पश्चात ही पारित किया गया है जो नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेमारी जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थी चाहे तो तहसीलदार सेमारी को अपने कब्जे के नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार सेमारी स्वतन्त्र है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर